

## परिचय

पश्चिमी हिमालय में भारत का उत्तरी प्रांत हिमाचल अवस्थित हैं जिसका दक्षिणतम जनपद सिरमौर है। गिरि नदी द्वारा सिरमौर उत्तर-पश्चिम से दक्षिणी-पूर्व दिशा में लगभग दो बराबर भागों में विभक्त किया गया है- गिरिआर तथा गिरिपार। गिरिपार के विषम भौगोलिक क्षेत्र के मौलिक निवासी हाटी कहलाते हैं जिन्हें 55 वर्षों के अविराम शांतिपूर्ण संघर्ष से संवैधानिक संशोधन उपरान्त 4 अगस्त, 2023 को हिमाचल प्रदेश की 11वीं अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है। हिमालय की बाह्य शिवालिक पर्वत श्रृंखलाओं के पादतलीय ढलानों में अवस्थित हाटी जनजाति शांति पूर्ण संघर्ष और सहनशीलता का पर्याय बन चुका है। सिरमौर का गिरिपार क्षेत्र हाटी समुदाय की कुल चौदह उप-जातियों का मूल निवास स्थान है जिसका कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 1299 वर्ग किलोमीटर है। सम्पूर्ण गिरीपार में 154 ग्राम पंचायते हैं गिरीपार सिरमौर में राजगढ़, शिलाई, संगडाह की सम्पूर्ण तहसील, उप- तहसील नौहराधार, कमरऊ, रोहटाट, तथा पांवटा तहसील का आज-भोज क्षेत्र समिलित है। ये ही क्षेत्र गिरी नदी द्वारा शेष जिले से अलग किये जाते हैं और एक ही भूखंड में अवस्थित है। इन क्षेत्रों की भौगोलिक एकरूपता के कारण ही एक जैसी सामाजिक-आर्थिक एवं सांस्कृतिक मान्यताओं का विकास हुआ है। यह भी विदित ही है कि इस इलाके की आदिम परम्पराओं का आज भी विद्यमान होना इस बात की ओर इंगित करता है कि आज भी विकट भौगोलिक बिषमताओं को विजित नहीं किया जा सका है। कठिन भौगोलिक स्थिति ने गिरीपार सिरमौर के लोगों को अपनी आजीविका के लिए सीढ़ीनुमा खेतों और छोटे आकार के पशुओं को पालने के लिए बाध्य किया। जोतों का आकार बहुत ही छोटा होता है और कई परिस्थितियों में तो जोतें इतनी छोटी होती हैं कि बैल की जोड़ी से हल भी नहीं लगाया जा सकता है। 99% कृषकों की जोतो का आकार 5 विश्वा से भी कम पाया जाता है। अधिकतर गाँव में आज भी दूर स्थित प्राकृतिक स्रोतों से पीने का पानी महिलायें सिर पर या पुरुष पीठ पर ढो कर लाते हैं। घरेलू मवेशियों को दूर तक पानी पिलाने के लिये ले जाया जाता है।

दुर्गम पहाड़ी भौगोलिक संरचना के कारण कृषि केवल वर्षा के पानी पर ही निर्भर है। सिंचाई के लिए किसी भी संसाधन का उपयोग संभव नहीं है। यदि किसी कृषि भूमी में सिंचाई की व्यवस्था की भी है तो मीलों दूर खड से पहाड़ी को काट कर कुहल का प्रयोग किया जाता है जिसमें निरंतर श्रम की आवश्यकता रही है और दिन रात लोगों को उसकी देखभाल करनी पड़ती है। किसान निरंतर अथक प्रयास करके भी वर्ष भर दो जून की रोटी उपजाने में सफल नहीं होता है। घास की पैदावार भी बहुत कम होती है चूँकि सम्पूर्ण भू-परपटी चट्टानी है जिस पर महज़ चार से छः इंच तक ही मिट्टी की उथली परत है। गिरीपार क्षेत्र में विद्यमान वनस्पति भी विषम भौगोलिक संरचना एवं स्वरूप की ओर इंगित करती है। चूँकि ये क्षेत्र शिवालिक पर्वतीय श्रृंखला में स्थित है और इसकी औसत ऊंचाई १५०० मीटर से ३००० मीटर के मध्य है। अधिकतम ऊंचाई वाले क्षेत्र में बान, बुरांश, देवदार, रोई आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। मध्यम ऊंचाई वाले भाग में गुरियाल, वयालु, बिउल, खडिक, कीमू, तूण, शिमल और निम्न ऊंचाई वाले भाग में मालू, चीड़, शीशम, खैर, छानण आदि वृक्ष पाए जाते

हैं प्रकृति की गोद में कई औषधीय वनस्पतियाँ भी उपलब्ध हैं जिन्हें लोक-उपचार में आदिम काल से प्रयोग किया जाता आ रहा है। इनमें हरड, धंतुरा, नौना, आंवला, तुलसी, नीम, बैनकशा, तिम्बुर आदि प्रमुखता से स्थानीय लोगों द्वारा कई रोगों के उपचार के लिए इस्तेमाल किये जाते हैं। विकट भौगोलिक स्वरूप ने ही गिरिपार क्षेत्र के लोगों के बयंजन और पकवान भी अलग तरह से प्रभावित किये हैं। आज भी 90% जनसंख्या मासाहारी है। शीत लहर से बचाव हेतु हर घर में खाद्य योग्य पशु पाले जाते हैं और सर्दी के मौसम प्रारंभ होते ही मांस के उद्देश्य के लिए काटे जाते हैं। भेड़, बकरी, सुअर, आदि पशु पालन मांस उद्देश्य के अतिरिक्त ऊँन के लाभ के लिए भी लोग रखते हैं। क्योंकि आदिम काल में इनके ऊँन से कम्बल, ढाबली, दुअड़, लोइया, सुथण, खारचा, कोट, आदि स्वयं बनाते आ रहे हैं।

हाटी समुदाय के गिरिपार क्षेत्र में व्यंजन और पकवान भी मौसम के आधार पर ही बनाये और खाए जाते हैं। सर्दी में मुड़ा, खेंडा, खुबलू, सिडकु, उलोउले, शाकोली, कुकवा, खीर, पटांडा, धुटी-भात, चिलड़े आदि पकाए और खाए जाते हैं क्योंकि ये अधिक गर्म पकवान होते हैं ताकि शरीर को अधिक देर तक उर्जा प्राप्त हो सके। घी का सेवन हर पकवान के साथ होता है। चूँकि वर्ष भर मौसम ठंडा ही रहता है इसलिए अधिक उर्जावान पकवान भी वर्ष भर पकाए और खाए जाते हैं। गिरिपार सिरमौर की बिषम भौगोलिक बनावट के कारण ही यंहा की खाद्य फसलों की पैदावार में पृथकता पाई जाती है। बारीक अनाज आदिम काल से ही लोगों के सेवन का मुख्य केंद्र बिंदु रहा है। क्योंकि यह अनाज अधिक पौष्टिक होने के साथ-साथ कई वर्षों तक भंडारित किया जा सकता है और आवश्यकता पड़ने पर उपयोग किया जाता रहा है। कोदा, कावने, वीणए, शांवक, चौलाए आदि ऐसे बारीक अनाज हैं जो एक पीढ़ी तक भी सुरक्षित रखे जा सकते हैं। इनके अतिरिक्त मक्की, धान, अदरक, लाल मिर्च, भंजीरा, भांग, माश, भअट कालाजीरा की भी पैदावार की जाती है। पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण गेहूँ की पैदावार काफी कम होती है।

गिरिपार के मूल वाशिनटें हाटी शिमला संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत सिरमौर जिले की चार विधान सभाओं में अपना प्रभावशाली अस्तित्व चिरकाल से बनाए हुए हैं। जिले की पांच विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में से केवल शिलाई विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सम्पूर्ण रूप से हाटी जनजाति क्षेत्र है। हाटी जनजाति की कुल जनसंख्या तीन लाख से अधिक है। जिला कल्याण अधिकारी के जनसँख्या सर्वेक्षण रिपोर्ट 1998 के अनुसार गिरिपार की कुल जनसँख्या में खोश-कनैत-मियां 46.02%, भाट-पाबुच 8.52%, और देवा 1.77% के अतिरिक्त अन्य जाति प्रतिशतता एक प्रतिशत से भी कम हैं। 1970 के दशक से आरम्भ हुआ शांतिपूर्ण हाटी जनजाति आन्दोलन अपने सफ़र में कई उत्तार चढ़ाव को पार करता हुआ 4 अगस्त, 2023 को केन्द्रीय विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति उपरान्त सफलता के परवान चढ़ा है।

सिरमौर की सर्वोच्च चोटी, धारों की धार चूड़धार की ऊंचाई 11966 फिट है। इसके शिखर की तलहटी से बाह्य शिवालिक श्रेणी की कई शाखाएं निकलती हैं जिन्हें स्थानीय बोली में धारें कहा जाता है। इनमें धार टपरोली, नौहरा धार, दियोठी धार, निगाली धार,

कमरऊ धार, जुईण धार, जामू धार, चांदपुर धार, रजाणा धार, संगड़ाह धार और दूधम धार शामिल हैं। सिरमौर में जमुना, टॉस, गिरि, जलाल, मारकंडा सरस्वती, घग्गर आदि नदियां बहती हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ अनेक बड़े खड्ड जिन्हें, नोएड़ो, नएट, भंगाल, सैज, गाड़ आदि नामों से जाने जाते हैं, बहते हैं। वर्तमान में टॉस नदी उत्तराखंड, सैज नदी शिमला के साथ प्राकृतिक सीमाओं का निर्धारण करती है। सिरमौर की ऊँची पर्वत श्रृंखलाओं में शीत ऋतु में बर्फ गिरती है और बिषम भौगोलिक क्षेत्र के कारण यहाँ के जन-जीवन में मैदानी जीवन शैली से पृथक सांस्कृतिक स्वरूप झलकता है। सम्पूर्ण सिरमौर का 98% भाग पहाड़ी है महज़ 2% भाग में मैदानी दून और खोल शामिल हैं।

वर्षभर गिरिपार सिरमौर में चार ऋतुओं का मौसम रहता है जिसमें ग्रीष्म, वसंत, वर्षा और शरद शामिल हैं। यहाँ शीत ऋतु अधिक लम्बी अवधि तक रहती है और तापमान शून्य से भी नीचे रहता है। ग्रीष्म ऋतु का अनुभव ज्यादातर कम ऊँचाई वाले भागों में होता है जिनकी समुद्र तल से ऊँचाई 900 मीटर से कम है। सिरमौर प्राकृतिक रूप से गिरि नदी द्वारा दो बराबर भागों में विभक्त किया गया है- गिरिआर तथा गिरीपारा ये दोनों क्षेत्र अपनी भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक विशेषताओं में भी पृथक हैं। जहां एक ओर गिरिआर का इलाका आधुनिकता की दौड़ में अपनी अलग सामाजिक एवं सांस्कृतिक पहचान को धूमिल होने की कगार पर है, वहीं गिरिपार सिरमौर आज भी अपनी विशिष्ट सामाजिक-आर्थिक एवं सांस्कृतिक विशेषताओं को संरक्षित एवं सुरक्षित रखने का दम्भ भरता है। इस इलाके के लोक गीत, नृत्य, वाद्य, मेले, त्यौहार, परम्पराएँ, मान्यताएं, सम्पत्ति का बंटवारा, विवाह परम्पराएँ, खाद्य शैली, भेष- भूषा, आभूषण-श्रृंगार, जन्म-मृतक संस्कार, देव मान्यताएं आदि विशिष्ट हैं।

सिरमौर प्राकृतिक रूप से गिरी नदी द्वारा दो बराबर भागों में विभक्त किया गया है- गिरिआर तथा गिरिपार। ये दोनों क्षेत्र अपनी भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक विशेषताओं में भिन्न हैं। जहां एक ओर गिरिआर के क्षेत्र में आधुनिकता के प्रभावधीन अपनी मौलिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक पहचान धूमिल होने की कगार पर है, वहीं गिरिपार सिरमौर आज भी अपनी विशिष्ट सामाजिक-आर्थिक एवं सांस्कृतिक विशेषताओं को संरक्षित एवं सुरक्षित रखने का दम्भ भरता है। इस इलाके के लोक गीत, नृत्य, वाद्य, मेले, त्यौहार, परम्पराएँ, मान्यताएं, सम्पत्ति का बंटवारा, विवाह परम्पराएँ, खाद्य शैली, भेष- भूषा, आभूषण-श्रृंगार, जन्म-मृत्यु संस्कार, देव परम्पराएं आदि विशिष्ट एवं मौलिक हैं।

गिरीपार सिरमौर खशों और खून्दों की भूमि है। रियासत सिरमौर की स्थापना से पूर्व महाभारत काल में भी यहाँ खशों तथा कुनिंदों की शासन प्रणाली विद्यमान थी। प्रचलित खश कानून एवं परम्परानुरूप सामाजिक, सांस्कृतिक पृष्ठ भूमि विकसित हुई। महाभारत,

बृहद सहिता, अष्टाध्यायी तथा विष्णु पुराण में खशों और कुनिंदों के प्रसंग विद्यमान है। आरंभिक काल खण्ड में खशों की शासन व्यवस्था काशगढ़ से नेपाल तक फैली थी जो कालांतर में पूर्वी भारत की ओर प्रसारित होती रही। आर्यों की आरंभिक शाखा से सम्बंधित खश तथा कुनिंद उत्तरखण्ड के जौंसार बावर, सिरमौर के गिरिपार क्षेत्र, शिमला की चौपाल तहसील और कुल्लू में बहुल संख्या में आबाद हैं। महाभारत में वर्णित है कि खशों ने कौरवों की ओर से कुरुक्षेत्र के युद्ध में भाग लिया था लेकिन कुछ खश विद्रोह करके पांडवों के पक्ष लड़े थे। इसका प्रमाण यहाँ की शाठा-पांशा परम्परा है जिसका निर्वहन आज भी होता है। अर्थात् कौरवों के पक्ष से भाग लेने वाले खश शाठा कहलाए चूँकि वे 100 भाइयों की ओर से युद्ध में लड़े थे इसलिए शाठा शब्द साठ का नहीं बल्कि सौ का प्रतीक है जबकि कुछ खश पांच पांडवों के पक्ष से कुरुक्षेत्र में लड़े इसलिए उन्हें पांशा कहा गया। आज भी खशों और कनैतों की परम्परागत व्यवस्था दाईचारा-भाईचारा बहुत मजबूत सामाजिक इकाई के रूप में प्रचलित है जिसकी जड़ें जौंसार बावर और गिरिपार के खूंदों में स्पष्ट रूप से उपलब्ध हैं।

गिरिपार सिरमौर और जौंसार बावर के खश में बहु पति प्रथा आदि काल से विद्यमान रही हैं और यह आर्थिक बिषमता के कारण जन्म लेने वाली परम्परा मात्र नहीं है इसकी जड़ें महाभारत कालीन पांच पांडवों का द्रोपदी से हुआ विवाह के मूल में देखने की आवश्यकता है जिसका अनुसरण आज भी न्यूनाधिक रूप में विद्यमान है। इन क्षेत्रों के लोक वाचाल में बहु पति प्रथा को पाण्डव प्रथा के नाम से पुकारते हैं। ईसा की प्रथा शताब्दी में रियासत सिरमौर की स्थापना होने के उपरान्त खशों और कुनिंदों के क्षेत्र स्वायत्त थे और इनकी अपनी व्यवस्था तथा सामाजिक-सांस्कृतिक ताना-बाना चलता रहा। यह तो निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि किस काल खंड में जौंसार-बावर और गिरिपार क्षेत्र सिरमौर रियासत के भाग बने लेकिन यह पुष्ट साक्ष्यों के साथ कहा जा सकता है कि इन क्षेत्रों पर रियासत के शासक का नियन्त्रण नाम मात्र का था। इन खूंदों के अपने छोटे-छोटे क्षेत्र और सीमाएं थी तथा एक-दूसरे पर प्रभाव स्थापित करने के लिए परस्पर पखों के माध्यम से लड़ाइयाँ करते रहते थे। सबसे महत्वपूर्ण व रोचक तथ्य यह है कि इनकी लड़ाइयों के दायरे इन क्षेत्र से बहार नहीं थे। शाठी केवल पाशी के क्षेत्र में और पाशी केवल शाठी के क्षेत्र में जोर आजमाईश करते थे जिनके उदाहरण 20वीं शताब्दी के आरम्भिक दशक तक मिलते हैं।

गिरिपार सिरमौर के मूल निवासियों को हाटी कहते हैं जिसमें वर्तमान में 14 उप-जातियाँ सम्मिलित हैं यथा-खोश/खश/कनैत/मियां, भाट, देवा, डेटी, कोली, लुहार, बड़ई, सुनार, डूम, चनाल, चमार, पाबूच, बोएड़ा आदि। इनका सदियों से परस्पर सौहार्द और निर्भरता का सम्बन्ध रहा है। किसी भी जातीय संघर्ष का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। खूंद और खशों के परस्पर संघर्ष के अलावा किसी भी अन्य जातियों के परस्पर संघर्ष नहीं रहे जो इस बात की पुष्टि करता है कि यहाँ का आरंभिक मूल निवासी खश ही था बाकी उप-जातियाँ बाद में आबाद हुई। खशों और कनैतों के आबाद गाँव में या उनकी हदों में लगभग सभी जातियों के लोग रहते हैं। इनकी सुरक्षा का दायित्व खश-कनैत पर था और आवश्यकता पड़ने पर ये खश इनके लिए मर-मिटने को भी तैयार रहते थे। संक्षिप्त में कहें

तो सामाजिक व्यवस्था का निर्वाहन और लोकाचार में यहाँ परस्पर जातीय निर्भरता प्रचलित रही जिससे श्रम विभाजन का स्वतः ही समाधान हुआ ।

खशो और खूंदों की आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था पुरातन काल से थी । यद्यपि कुनिंदों के सिक्कों का प्रचलन था लेकिन स्थानीय लेन-देन वस्तु विनिमय के द्वारा ही होता रहा जिसका प्रचलन आंशिक रूप से आज भी विद्यमान है । 10वीं शताब्दी के बाद शिवालिक की उपत्यकाओं की तलहटियों में बाजारों के प्रचलन से गिरिपार के निवासी अपनी उपज और पैदवार को अपनी पीठ पर शईया, जगाधरी, चकयाता, मंसूरी, चुड़पुर, कालसी, हरिपुर व्यास आदि स्थानों पर लगने वाले हाटों में ले जाते थे और वहां से वर्ष भर के लिए आवश्यक वस्तुएं जैसे कपड़ा, गुड़, शीरा, नमक आदि लेकर आते थे । हाट के लिए सम्पूर्ण गाँव साथ जाता था जिसमें सभी जातियों के लोग सम्मिलित होते थे । हाट में जाने वाले दल को ही हाटी कहा गया और कालांतर में यही शब्द लोक प्रचलन में प्रचलित रहा । यहाँ यह उल्लेख करना आवश्यक है कि केवल हाट की परम्परा से इस समुदाय को जन जाति का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है बल्कि इसकी अपनी विशिष्ट संस्कृति है, सामाजिक-आर्थिक पिछड़ापन है और भौगोलिक पृथकता विद्यमान है । इस क्षेत्र के अराध्य चुड़धार स्थित श्रीगुल देव पहले हाटी माने जाते हैं जिन्होंने दिल्ली के हाट में अपने दल और बल सहित प्रवेश किया था और अपनी अलौकिक शक्ति से तत्कालीन दिल्ली सल्तनत के शासक को भयभीत किया था ।

गिरिपार के हाटी समुदाय की अनुसूचित जाति को छोड़कर खश/खोश /कनैत/ मियां/, भाट, देवा, डेटि, पाबूच को ही अनुसूचित जनजाति के रूप में अधिसूचित किया गया है क्योंकि अनुसूचित जनजाति के लोगों ने समय-समय पर स्वेच्छा से अपने को इस दायरे से बहार रखने की गुजारिश राज्य व केंद्र सरकार से की थी ।

रियासत काल में सिरमौर के शासकों के बढ़ते प्रभाव व विस्तारवादी नीति के तहत सम्पूर्ण गिरिपार, जौंसार-बावर और रामपुर बुशहर तक के क्षेत्र को अपने अधीन किये गए तो स्वाभाविक है कि खशो और कनैतों को भी अपनी शक्ति बढ़ाने के अवसर सिमित हो गए । लेकिन इनकी सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक व्यवस्था में स्वायतता बनी रही जिसमें रियासत की ओर से किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया गया । यहाँ का क्षेत्र गिरिपार बजीरी के रूप में गठित किया गया जिसका उद्देश्य मात्र राजस्व एकत्र करना था। यद्यपि राज्य प्रशासन में गिरिपार के आंज-भोज से कई बजीर शासक की ओर से नियुक्त हुए और गिरिपार क्षेत्र राजगढ़ का देवथल व नेरी, आंज-भोज का राजपुर-कांगड़ा अल्प काल के लिए रियासत की राजधानियां भी रही । कालसी तो मौर्य काल से पहले ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल था जहाँ महान मौर्य शासक अशोक ने 257 ई० पूर्व प्राकृत भाषा व ब्रह्मी लिपि में शिलालेख जारी करवाया था । यही कालसी 1000 वर्षों से भी अधिक समय तक सिरमौर रियासत की राजधानी रही थी । गिरिपार सिरमौर के साथ-साथ जौंसार बाबर का क्षेत्र भी वर्ष 1815 तक इस रियासत का अभिन्न अंग था। गौरखों को पराजित करने के बाद हुई सगौली की संधि से अंग्रेजी कम्पनी ने अपने अधीन किया था ।

जौंसार बाबर और गिरिपार सिरमौर में भौगोलिक, सामाजिक-आर्थिक एवं सांस्कृतिक समरूपता है। दोनों क्षेत्र दो अलग राज्यों में स्थित होने के बावजूद आज भी

विशिष्ट एवं अदिम परम्पराओं को संरक्षित एवं सुरक्षित रखे हुए हैं। दोनों इलाकों में मेले त्यौहार, सामाजिक, आर्थिक एवं जनाकंकीय संरचना एक सामान्य है। जातीय व्यवस्था, स्थानीय न्याय प्रणाली, लोक परम्पराएँ एवं मान्यताएं सम तुल्य हैं। दोनों ही क्षेत्रों के लोगों में आज भी बेटी-रोटी का संबंध है। दोनों क्षेत्र के अधिकतर गाँवों का परस्पर दार्द्वार-भाईद्वार आरम्भिक काल से ही विद्यमान रहा है।

जौंसार बाबर और गिरीपार सिरमौर में अगर कुछ अंतर है तो वो है टोंस नदी द्वारा प्राकृतिक विभाजन। वर्ष 1967 ई० में भारत सरकार द्वारा जौंसार बाबर के निवासी जौंसारा को जनजाति घोषित किया जिसके कारण गिरीपार क्षेत्र के हाटियों को अपना अधिकार प्राप्त करने के लिए पांच दशकों से भी ज्यादा समय तक लम्बा शांतिपूर्ण संघर्ष करना पड़ा। एक और सार्थक एवं अति महत्वपूर्ण तथ्य का उल्लेख करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है जब हम जौंसारा और हाटियों के एकरूपता की बात करते हैं। 1815 ई० में जौंसार बाबर का अंग्रेजी हुकूमत के अधीन आने से तत्कालीन अंग्रेजी विद्वानों ने यहाँ की विशिष्ट संस्कृति एवं सामाजिक-आर्थिक गतिविधियों को दस्तूर-उल-अमल तथा वाजिद-उल-अर्ज के रूप में संकलित करके उजागर किया। कालांतर में अंग्रेजी विद्वानों का यही संकलन इस क्षेत्र के जनजातीय घोषित होने में प्रमाणिक दस्तावेज बना। जबकि गिरीपार सिरमौर का कोई प्रमाणिक अन्वेषण, शोध एवं साहित्य लेखन नहीं हुआ जिसकी वजह से इस क्षेत्र के हाटी समुदाय को दशकों लंबित पड़े संवैधानिक अधिकार को प्राप्त करने के लिए निरंतर कड़ा संघर्ष झेलना पड़ा।

१९७० ई० के दशक में गिरीपार सिरमौर के हाटियों ने अपना हक प्राप्त करने के लिए एक हाटी समिति का गठन करके इसका पंजीकरण किया करवाया। तत्कालीन सरकार और उत्तरोत्तर सरकार के समक्ष अपनी जायज़ मांग रखी और सरकार की तरफ से विभिन्न समितियाँ गठित भी की गयीं, प्रदेश विश्वविद्यालय के जनजातीय विभाग द्वारा विस्तृत रिपोर्ट भी तैयार करवाई गयी। भारत सरकार के जनजातीय मंत्रालय तथा प्रदेश सरकार के जनजातीय विभाग के कई कार्यालयों आदेश पारित होते रहे। भारत के महापंजीयक के दौरे भी हुए परन्तु दशकों से लंबित पड़ी मांग को पूरा होने की दिशा में कोई सार्थक परिणाम नजर नहीं आ रहा है।

पाठकों की जिज्ञासा हेतु यहाँ यह उल्लेख करना परम आवश्यक है कि गिरीपार सिरमौर आदिकाल से अद्भुत एवं समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर का पालना है। आदिम एवं विशिष्ट परम्पराओं को अपनी आगोश में समेटे हुए है। यह क्षेत्र आदिम जातियों, विलुप्त प्राय व्यवसायों, अनूठी लोक परम्पराओं एवं अलग सामाजिक-आर्थिक गतिविधियों के लिए अपनी अलग पहचान रखता है। आधुनिकता के छन्न एवं क्षणिक प्रभावों के इस दौर में इस अमूल्य धरोहर को बचाना अत्यंत आवश्यक है। जिस हेतु आज इस क्षेत्र के निवासी जनजातीय दर्जा प्राप्त करने के लिए संघर्षरत हैं ताकि अपनी समृद्ध एवं अलग पहचान को संरक्षित एवं सुरक्षित करके वैश्विक पटल पर उभारा जा सके। इस क्षेत्र के युवा यद्यपि अपनी मौलिक संस्कृति में आज गौरवान्वित महसूस करते हैं लेकिन वैश्विक पटल पर इस की मान्यता सरकार की जनजातीय घोषणा से पुष्ट हो गयी है।

गिरीपार सिरमौर के हाटियों को जनजाति का अधिकार प्राप्त होने में सहस्र लोगों की उर्जा और संसाधन की आहुति डली हैं। कई वृद्धिजनों ने हाटी जन संघर्ष का हर पहलू स्वाभाविक रूप से आत्मसात किया है और अपने भावनात्मक जुड़ाव से वास्तविकता को सहजता एवं सरलता से हर मंच पर प्रस्तुत करने में सहयोग दिया है। हाटी समिति की संस्थापक कार्यकारणी से लेकर वर्तमान कार्यकारणी, ब्लॉक व तहसील इकाइयों तथा क्षेत्रीय इकाइयों ने निरंतर छह दशकों के लम्बे संघर्ष में जिस धैर्य व शांति के साथ सहयोग दिया है वह अत्यंत सराहनीय हैं। कई लेखकों, पत्रकारों, शोधार्थियों, फिल्मकारों, ने वर्षों से केंद्र सरकार और राज्य सरकार से हुए सभी पत्राचार को बड़ी बारीकी से पढ़ा एवं परखा है। विभिन्न अध्ययन रिपोर्टों, कार्यालयी आदेशों एवं प्रतिउत्तरों के अतिरिक्त कई लेखकों के किये गए प्रयासों की भी हाटी जन हृदय से कृतज्ञता प्रकट करते हैं।

गिरीपार सिरमौर की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण करना हमारा परम दायित्व है। इस सांस्कृतिक विरासत को अपेक्षित परिवर्तनों के साथ भावी पीढ़ी को सौंपना भी हमारा ही कर्तव्य है। इस लिए उन अनुभवों एवं परिपाटियों को कलमबद्ध करना उचित होगा जिनसे भविष्य की पीढ़ी इस विलग एवं विशिष्ट सामाजिक-आर्थिक व सांस्कृतिक विरासत को ग्रहण करने में न केवल गौरवान्वित महसूस करे बल्कि आत्मसात करके पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाएं और वैश्विक पटल पर उभारें। यहाँ यह उल्लेखित करना सर्वथा उचित होगा कि जिज्ञासु व ज्ञान पिपासु शोधार्थियों द्वारा हाटी संस्कृति पर बहुआयामी शोध प्रकशित होने से गिरीपार सिरमौर की मौलिक एवं वास्तविक पहचान को पाठको के समक्ष लाया जा सकेगा जिस उद्देश्य से केंद्र व राज्य सरकार ने यह अनुसूचित जनजाति का अधिकार प्रादन किया है। हाटियों की विशिष्ट सांस्कृतिक धरोहर एक अमूल्य निधि के रूप में भावी पीढ़ी को विरासत में प्राप्त होंगी ताकि वे अपनी पहचान की जड़ों को सिंचित कर मजबूत कर सकें।